



# उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

## U.P. Power Transmission Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687 GSTIN: 09AAACU8823E1Z9

कमरा नं0 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001.

Room No. 320, IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001

पत्रांक: 11/उ0म0प्र0 /का0टैक्स /2018-19

दिनांक: 07.04.2018

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी  
उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0

मुख्य अभियन्ता (डी0एण्डपी0)/765के0वी0/  
सी0 एण्ड सी0/सी0एम0यू0डी0/जानपद (I)/(II)  
पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण  
उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0  
लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।

### विषय:- टी.डी.एस. से संबंधित दिशा-निर्देश

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा TDS में किये जा रहे त्रुटियों के कारण TDS Return में हो रही Defaults को संज्ञान में लेते हुए TDS के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. **Deduction of TDS at correct rate and in correct section:-** जैसा कि विदित है, आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत भुगतान करते समय TDS की कटौती का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष (2017-18) में लागू होने वाली TDS की धाराएँ Annexure-I में संलग्न है।

अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि TDS की कटौती वर्तमान में लागू सही दर से तथा सही धारा में किया जाना सुनिश्चित करें। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत TDS की कटौती करने तथा जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारी की है।

2. **Deposit of TDS deducted by Units:-** कटौती की गयी TDS की राशि को समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी ससमय तथा सही धारा में जमा किया जाना सुनिश्चित करें। TDS जमा करने की अंतिम तिथियाँ इस प्रकार हैं:-

Months	Due Dates
April	7 <sup>th</sup> May
May	7 <sup>th</sup> June
June	7 <sup>th</sup> July
July	7 <sup>th</sup> August
August	7 <sup>th</sup> September
September	7 <sup>th</sup> October
October	7 <sup>th</sup> November
November	7 <sup>th</sup> December
December	7 <sup>th</sup> January

January	7 <sup>th</sup> February
February	7 <sup>th</sup> March
March	30 <sup>th</sup> April

यदि काटी गई TDS की राशि को ससमय जमा नहीं किया जाता है तो इस पर 1.5% Per Month की दर से ब्याज (कटौती की तिथि से लेकर जमा करने की तिथि तक) लग जाता है जिसका वहन संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को करना होगा।

अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि TDS की राशि को सही समय पर तथा सही धारा में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

3. **Filing of TDS returns:-** समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा की गयी TDS की कटौती के संबंध में TDS Returns प्रत्येक तिमाही में फाइल करना आवश्यक है। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा फाइल किये जाने वाले TDS Returns के लिए निम्नलिखित Forms निर्धारित हैं:-

- (i) **Form 24Q-** वेतन के भुगतान पर की गयी TDS की कटौती के लिए।
- (ii) **Form 26Q-** वेतन के अलावा किये गये भुगतान पर की गयी TDS की कटौती के लिए।

TDS Returns File करने के लिए Due Dates निम्नवत हैं:-

Quarter Ending	Form 24Q	Form 26Q
June 30	31 <sup>st</sup> July	31 <sup>st</sup> July
Sept. 30	31 <sup>st</sup> October	31 <sup>st</sup> October
Dec. 31	31 <sup>st</sup> January	31 <sup>st</sup> January
March 31	31 <sup>st</sup> May	31 <sup>st</sup> May

यदि TDS Returns सही समय पर फाइल नहीं किया जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 234E के अनुसार Rs.200/- प्रतिदिन (अधिकतम काटे गये TDS के बराबर) की Late फाइलिंग फीस तथा आयकर अधिनियम की धारा 271H के अनुसार कम से कम Rs.10,000/- तथा अधिकतम Rs.1,00,000/- की पेनाल्टी लगायी जाती है।

अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि TDS Returns की फाइलिंग सही समय पर किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा लगायी गयी समस्त ब्याज एवं पेनाल्टी की जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।

4. **Issue of Form 16/16A:-** आयकर अधिनियम की धारा 203 के अन्तर्गत TDS Returns फाइल करने के उपरांत समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा Deductee को Traces की website से download किया हुआ Form 16/16A निर्धारित समय के अनुसार Issue करना अनिवार्य है। Form 16/16A Issue करने की समय सीमा निम्नवत है:-

Quarter Ending	Due Dates
June 30	15 <sup>th</sup> August
September 30	15 <sup>th</sup> November
December 31	15 <sup>th</sup> February
March 31	15 <sup>th</sup> June (31 <sup>st</sup> May for Form 16)

आयकर अधिनियम की धारा 272A के अनुसार सही समय पर Form 16/16A issue नहीं किये जाने पर Rs.100/- प्रतिदिन पेनाल्टी का प्रावधान है।

5. **Verification of PAN-** समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि TDS काटते समय Deductee का PAN अवश्य जाँच ले। जाँच हेतु PAN Card की प्रतिलिपि प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यदि कोई Deductee अपना PAN नहीं देता है या किसी Deductee का PAN गलत है तो उस पर 20% की दर से TDS की कटौती करना सुनिश्चित करें।
6. **Linking Correct PAN to TAN-** समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे UPPTCL का ही PAN (AAACU8823E) उपयोग करें। यदि किसी खण्ड/इकाई के TAN पर UPPTCL के PAN के स्थान पर अन्य PAN लिंक है तो संबंधित खण्ड एवं इकाईयों अपने-अपने TAN पर UPPTCL का PAN लिंक कराना सुनिश्चित करें।
7. **Defaults arising after filing of TDS returns:-** आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा TDS Returns फाइल किये जाने के उपरांत कुछ त्रुटिया उत्पन्न हो रही हैं। आयकर विभाग द्वारा किये गये निर्धारण का विभाग द्वारा अध्ययन करने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ है कि TDS Returns फाइल करने के उपरांत होने वाली मुख्य त्रुटियाँ निम्नवत हैं:-

(i) **Short deduction of TDS:-** Short Deduction के महत्वपूर्ण कारण निम्नवत है:-

- (a) कम कटौती का सबसे महत्वपूर्ण कारण TDS Returns में Deductee का गलत PAN दिया जाना होता है। यह आवश्यक है कि TDS Returns में Deductee का सही PAN दिया जाये। जैसा कि प्वाइंट नं0 5 में बताया गया है कि PAN गलत अथवा नहीं होने पर, TDS अधिनियम के अनुसार TDS की कटौती 20% होनी होती है। अतः जब हम TDS Return में गलत PAN डालते हैं तो Income Tax Website 20% की दर से कर की गणना करती है और हमारे जमा किये गये मूल्य और 20% की कटौती के अन्तर के बराबर Demand raise कर देती है।

**उदाहरण-** यदि किसी कन्ट्रैक्टर का किये गये भुगतान पर 2% का TDS काटा गया हो और रिटर्न में गलत PAN डाल दिया हो तो Income Tax Website TDS की गणना 20% से करेगी, जिसके कारण (20% - 2% = 18%) की Demand raise होगी, साथ ही इस 18% पर लेट पेमेंट, इत्यादि का व्याज एवं पेनाल्टी भी देय होगी।

अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि TDS Returns में दिये जा रहे PAN की जाँच करना सुनिश्चित करें।

(b) सही दर से कटौती न करने पर या कम दर से कटौती होने पर भी Short deduction होती है। अतः सही दर से तथा सही धारा में TDS की कटौती करना सुनिश्चित करें।

(II) Short Payment:- उपरोक्त के अलावा TDS Returns फाइल करने के उपरांत Short Payment की त्रुटि भी आती है।

Short Payment का महत्वपूर्ण कारण TDS Returns में चालान की Detail गलत दिया जाना है। यदि TDS Returns फाइल करते समय चालान की Detail गलत दिया जाता है तो वह आयकर विभाग के Database से मिलान नहीं होता है जिसके कारण Income Tax Website द्वारा उस चालान को Unpaid मान लिया जाता है।

अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि TDS Returns फाइल करते समय रिटर्न में भरी गयी चालान की समस्त Detail जाँच लें, जैसे कि-

(a) Challan Number

(b) BSR Code of Bank

(c) Tender date of Deposit of the challan

खण्ड एवं इकाईयों आयकर की site tin.tin.nsd.com पर जाकर अपने चालान का मिलान Income Tax के Database से भी कर सकते हैं।

8. वे सभी प्रकारण जहाँ पर खण्डों/इकाईयों द्वारा प्राप्त किये जा रहे भुगतान पर TDS की कटौती की जा रही है, उदाहरणार्थ- बैंक द्वारा सावधि जमा पर दिये गये ब्याज पर TDS की कटौती इत्यादि, तो Deductor से समय पर Traces की website से download किया हुआ Form 16A प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

खण्डों/इकाईयों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि Form 16A प्राप्त करने के उपरांत उसका Books of Accounts में Proper Recording करना सुनिश्चित करें, जिससे कि मुख्यालय स्तर पर 26(AS) का Books of Accounts में Record TDS से मिलान सही ढंग से हो सके। लेखांकन के बाद Form 16A की एक प्रति अपने संबंधित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

जो भी टी.डी.एस. इकाईयों द्वारा भुगतान पर कटा हो, उसके संदर्भ में सभी यूनिट्स अपने संबंधित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय को Annexure-II में दिये गये प्रारूप के अन्तर्गत पूछी गयी सभी सूचनाओं को प्रत्येक तिमाही के अन्त के 15 दिनों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक - यथोपरोक्त

  
(प्रकाश कुमार गुप्ता)  
उप महाप्रबन्धक  
(कारपोरेट टैक्स)

पत्र सं० 11/30म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेन/2017-18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- निदेशक (वित्त), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/महाप्रबन्धक (लेखा), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।
- 4- उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (निधि), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- अधिसूची अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, 11वां तल, शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक: - यथोपरोक्त

  
(प्रभात कुमार गुप्ता)  
उप महाप्रबन्धक  
(कारपोरेट टैक्स)

## Annexure-I

As desired, the rate of TDS applicable for the financial year 2017-18 i.e. A.Y.2018-19 is given here under

Sl. No.	Section	Nature of Income	Rate of TDS
1	192A	Payment of accumulated balance due of Employees' Provident Fund Scheme, 1952, to Employees which is taxable	@ 10% (in case of valid PAN) @ 30% (in case of Non-Valid PAN)
2	193	<b>Interest on securities</b> a) any debentures or securities for money issued by or on behalf of any local authority or a corporation established by a Central, State or Provincial Act; b) any debentures issued by a company where such debentures are listed on a recognised stock exchange in accordance with the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and any rules made there under; c) any security of the Central or State Government; d) interest on any other security  Where the amount of such interest exceeds Rs.5,000/-	@ 10% (in case of valid PAN) @ 20% (in case of Non-Valid PAN)
3	194C	Payment to contractors/ sub-contractors, where the aggregate amount of sum paid or credited exceeds Rs. 30,000/- in a single payment or Rs.1,00,000 in aggregate during a F.Y. year (Rs. 75000/- July 1 2010 to May 31 2016).	@ 2% - For payments to contractor/Sub-contractor who is not an Individual/HUF applicable for Valid PAN only ( 20% in case of Non-Valid PAN)  @ 1% - For payment to contractor/Sub-contractor who is an Individual/HUF applicable for Valid PAN only (20% in case of Non-Valid PAN)
4	194H	Payment of commission brokerage, where the aggregate amount of sum paid or credited exceeds Rs.15,000/-.	@ 5%
5	194I	Payment of Rent, where the aggregate amount of sum paid or credited exceeds Rs.1,80,000/-.	10% - If rent is for land, building or furniture and (20% in case of Non-Valid PAN)  2% - If the rent is for Machinery, Plant or Equipment and (20% in case of Non-Valid PAN)
6	194IA	Payment on transfer of certain immovable property other than agriculture land, where the consideration exceeds Rs.50,00,000/-	@ 1%
7	194J	Any sum paid by way of a) Fee for professional services, b) Fee for technical services c) Royalty, d) Remuneration/fee/commission to a director or e) For not carrying out any activity in relation to any business f) For not sharing any know-how, patent, copyright etc. Where the aggregate amount of sum paid or credited exceeds Rs.30,000/-	@ 10%  Or  @2% for only those payee who are engaged in business of operation of call center v.e.f 01-06-2017 and 20% in case of invalid PAN

